न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर
पीठासीन अधकारी –डॉ0सूरज सिंह नेगी

प्रार्थना पत्र संख्या 110 / 2021 तारीख रजू 04.10.2021

1. सरकार जरिये तहसीलदार (लैण्ड होल्डर) मलारना डूंगर

..........प्रार्थी

बनाम

1. केशन्ती पत्नी रूपनारायण जाति गुर्जर निवासी ग्राम बाढ बिलोली तहसील मलारनाडूंगर
2. रूपनारायण पुत्र रामजीलाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम बाढ बिलोली तहसील मलारनाडूंगर

.......अप्रार्थीगण

उपस्थितः–

1. राजकीय पैरोकार प्रार्थी की ओर से
2. श्री सी.एस.गुर्जर एडवाकेट अप्रार्थी की ओर से

निर्णय दिनांक..................24/7/23

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14 (4) तहसीलदार (भू.अ.) मलारनाडूंगर द्वारा आवंटन सलाहकार समिति द्वारा पारित आवंटन आदेश दिनांक 06.06.2002 के विरूद्व प्रस्तुत किया गया जिसके द्वारा अप्रार्थीगण केशन्ती पत्नी रूपनारायण जाति गुर्जर निवासी ग्राम बाढ बिलोली तहसील मलारना डूंगर एवं रूपनारायण पुत्र रामजीलाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम बाढ बिलोली तहसील मलारनाडूंगर को आराजी खसरा नम्बर 872 / 1871 रकबा 0.50 है0 वाके ग्राम बाढबिलोली में आदेश दिनांक 06 / 06 / 2002 द्वारा आवंटन किया गया था। अप्रार्थीगण को आवंटितशुदा खसरा नम्बर 872 / 1871 रकबा 0.50 है0 पर भू.अ. निरीक्षक वृत चकबिलोली व पटवारी हल्का चकबिलोली की रिपोर्ट के अनुसार उक्त भूमि पर आबादी बसी हुई जो ग्राम के अन्य व्यक्ति निवास करने के कारण आवंटन को निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया।

प्रार्थनां पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये नोटिस की गयी। अप्रार्थीगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित आए। अदालत मातहत से मूल पत्रावली प्राप्त। प्रार्थना पत्र पर बहस उभय पक्ष सुनी गयी।

वकील पेरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस में तर्क दिया कि अप्रार्थीगण को आवंटितशुदा खसरा नम्बर 872 / 1871 रकबा 0.50 है0 पर भू. अ. निरीक्षक वृत चकबिलोली व पटवारी हल्का चकबिलोली की रिपोर्ट के अनुसार उक्त भूमि पर आबादी बसी हुई जो ग्राम के अन्य व्यक्ति निवास करते है। पुनःश्च पेरोकार सरकार ने अपनी बहस में तर्क दिया कि खसरा गिरदावरी सम्वत 2076 के अनुसार भूमि मौके पर पड़त है जिससे

अति॰ जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.08.04 12:10:35 IST
Reason: SelfAttested

यह साफ जाहिर होता है कि अप्रार्थीगण का आवंटितशुदा भूमि पर कब्जा नहीं है। अतः वकील पेरोकार सरकार द्वारा आवंटन सलाहकार समिति द्वारा पारित आवंटन आदेश दिनांक 06.06.2002 को निरंस्त करने हेतु निवेदन किया गया।

अप्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस तर्क दिया कि उनके पक्षकार को आराजी खसरा नम्बर 872/1871 रकबा 0.50 है0 किस्म बंजड वाके ग्राम बाढबिलोली में आदेश दिनांक 06/06/2002 को आवंटन किया गया था। पटवारी हल्का चकबिलोली द्वारा गलत फर्द मौका तैयार कर पेश किया गया है। अन्त में वकील अप्रार्थीगण द्वारा तहसीलदार मलारनाडूंगर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र महज टाईपशुदा फॉर्मेट पर बिना मौके की जाँच किये कार्यवाही करना बताते हुये प्रार्थना पत्र को खारिज करने हेतु निवेदन किया गया।

प्रकरण में उभय पक्ष की बहस सुनी गयी एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। तहसीलदार मलारनाडूंगर से प्राप्त प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया जिसके अनुसार अप्रार्थीगण केशन्ती पत्नी रूपनारायण जाति गुर्जर निवासी ग्राम बाढ बिलोली तहसील मलारना डूंगर एवं रूपनारायण पुत्र रामजीलाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम बाढ बिलोली तहसील मलारनाडूंगर को आराजी खसरा नम्बर 872/1871 रकबा 0.50 है0 वाके ग्राम बाढबिलोली में आदेश दिनांक 06/06/2002 द्वारा आवंटन किया गया था। भू.अ.निरीक्षक वृत चकबिलोली व पटवारी हल्का चकबिलोली की रिपोर्ट दिनांक 23.07.2021 के अनुसार अप्रार्थीगण का मौके पर कब्जा काश्त नहीं है एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज खसरा गिरदावरी सम्वत 2076 के अनुसार भूमि मौके पर पड़त पडी होना तथा आबादी बसी हुई होना अंकित किया है किन्तु पत्रावली में उपलब्ध तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन करने पर यह पाया जाता है कि प्रार्थना पत्र एक पूर्व निर्धारित टाइपशुदा प्रपत्र पर खाली स्थानों में महज आवंटी की सूचनाएँ बदल – बदलकर बिना मौके की स्वयं द्वारा जाँच किये हुये अपूर्ण स्थिति तथा बिना डिस्पेच किये हुए ही भिजवाया गया है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर तहसीलदार मलारनाडूंगर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14(4) अपूर्ण होने के कारण तहसीलदार मलारनाडूंगर को प्रतिप्रेषित किया जाकर आदेशित किया जाता है कि राजस्व ग्राम मलारनाडूंगर के आराजी खसरा नम्बर 872/1871 रकबा 0.50 है0 का स्वयं मौका देखकर अगर आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं की जाने तथा आवंटी के आवंटित शुदा भूमि पर कब्जा काश्त नहीं होने की स्थिति में निर्धारित प्रपत्र पर पुनः नये सिरे से प्रार्थना पत्र 14(4) प्रस्तुत करे।

निर्णय आज दिनांक 24/7/23 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(डॉ0सूरज सिंह नेगी)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.08.04 12:10:35 IST
Reason: SelfAttested